

साठ के दशक में भारत सरकार ने प्रिवि पर्स इस तर्क के साथ खत्म कर दिया था कि इसे जारी रखना औचित्यहीन है क्योंकि वर्तमान व्यवस्था में राजा/राजकुमार लोक कल्याण के किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते हैं। लेकिन आज सांसदों, पूर्व सांसदों, पूर्व प्रधानमंत्रियों व पूर्व राष्ट्रपतियों और पूर्व उपराष्ट्रपतियों को मिलने वाले भत्ते व सुख सुविधाएं भी इसी 'प्रिवि पर्स' का ही नया अवतार नजर आते हैं।

यहां यह उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष मंत्रिपरिषद् व प्रधानमंत्री पर खर्च की गई धनराशि 122.52 करोड़ रुपये थी, जो लोकसभा के कुल खर्च का आधा और राज्य सभा पर खर्च होने वाली राशि से 30.39 करोड़ रुपये ज्यादा था। इस पर यदि एसपीजी (विशेष सुरक्षा समूह) पर होने वाले 79.46 करोड़ रुपये के खर्च को भी जोड़ा जाए तो यह लोकतंत्र हमारी मंत्रिपरिषद्, संसद और राष्ट्रपति कार्यालय को बेहद खर्चीले लोक संस्थान बना देता है। (देखें तालिका)

उच्च पदस्थ लोगों पर होने वाला व्यय

क्र.सं. नाम	2002-03	2004-04
	(करोड़ रुपये में)	
1. राष्ट्रपति और सचिवालय	9.94	14.55
2. उपराष्ट्रपति और सचिवालय	0.97	1.07
3. लोकसभा-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लोकसभा-नेता सदन व प्रतिपक्ष मुख्य सचेतक, सदस्य, सचिवालय	222.78	244.90
4. राज्य सभा-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष	77.90	92.25
5. मंत्रिपरिषद् और प्रधानमंत्री	74.33	122.52
6. स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप	60.09	77.46
7. पूर्व-राष्ट्रपतियों की पेंशन दूसरे अधिकार	0.05 0.19	0.09 0.20
8. पूर्व सांसदों की पेंशन	4.76	5.64
कुल	451.01	558.68

* पूर्व सांसदों के रेल यात्रा खर्च सम्मिलित

* पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवारजनों की सुरक्षा सम्मिलित

स्रोत : बजट पेपर-मंत्री-वित्त, गृह मामले (भाग-1), संसद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सचिवालय-अनुदानों की विस्तृत मांग (2004-05)

मैं राष्ट्रपति को इस विवाद में नहीं घसीटना चाहता। अतः उनके व्यक्तिगत वेतन व सुविधाओं पर कुछ नहीं कहूंगा परंतु मैं इस बात पर दुःखद आश्चर्य जरूर प्रकट करूंगा कि जब देश में एक ओर करोड़ों लोग बिना किसी छत के जीने को मजबूर हैं, ऐसे में राजप्रासादनुमा राष्ट्रपति भवन के रखरखाव पर इतना धन खर्च किया जाए। मैं इसमें कोई

औचित्य नहीं देखता कि रहने के लिए एक व्यक्ति या परिवार को 350 कमरों वाला घर दिया जाए।

उपरोक्त तथ्यों व स्थितियों ने लोगों के मन में संसद के प्रति सम्मान को कम करने में अपना योगदान दिया है। इस संदर्भ में इस बात पर भी जोर देना होगा कि संसद की व्यवस्था का निर्धारण करने वाले संविधान के अनुच्छेद 79 से 123, जिसमें संसद का विशेषाधिकार भी शामिल है, ऐसी किसी व्यवस्था की बात नहीं करते जो इसके नियंत्रण व संतुलन को भीतर की बजाए बाहर से संचालित कर सके। दुःख है कि अभी यह काम होना बाकी है, अतः इस दिशा में पहला कदम उठाने की जरूरत है। इसमें सांसदों को केवल लाभ उठाने वाला बनाने से रोकने के लिए एक आम बहस शुरू करने की जरूरत है। साथ ही इनके वेतन व भत्तों के संबंध में पड़ताल करने की भी आवश्यकता है। ताकि लोगों की नजरों में संसद की खोई गरिमा व प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया जा सके।

मेरी यह स्पष्ट धारणा है कि यदि इस तरह की दखलंदाजी पर रोक नहीं लगाई गई तो यह लोकतंत्र की चूलें हिला देगा और जनता के मन में इसके प्रति आस्था कम करेगा। अतः आप सभी बुद्धिजीवियों एवं विचारनायकों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इस विषय पर गहराई से सोचें और इस मुद्दे को उचित मंच पर उठाएं। ताकि इस संबंध में एक निश्चित परंपरा और संस्थानिक तंत्र स्थापित किया जा सके, जो वैधानिक हो।

परंतु निश्चय ही मैं अपनी बात को निराशा के बिंदु पर खत्म नहीं करना चाहता। दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा तैयार व लागू किए गए सामुदायिक व व्यक्तिगत प्रयासों से स्वावलंबन पर आधारित ग्रामीण विकास के चित्रकूट मॉडल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि समुचित संस्थानिक सहयोग दिया जाए तो हमारा ग्रामीण समुदाय अपनी आंतरिक समस्याओं से निजात पा सकता है। इतना ही नहीं यह निरंतर विकास के नए सोपान चढ़ सकता है और समकालीन बाजार तथा नवीन तकनीकों का सहारा लेकर स्वरोजगार के नए अवसरों को भी बढ़ावा दे सकता है।

अब समय आ गया है कि विकास की ऐसी नीति अपनाएं जिसमें जनसक्रियता सुनिश्चित हो। और लोकहित के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए ऐसा शासन तंत्र हो जिसमें जिम्मेदारी का भाव समाहित हो। इससे हमें अपने लोगों की आंतरिक क्षमताओं तथा कुछ नया करने की उनकी ललक को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसी के द्वारा सामाजिक समानता एवं न्याय आधारित विकास प्राप्त किया जा सकता है। इससे लोकतंत्र पुष्ट हो सकेगा जिसके सहारे विकास के ऊंचे सोपान न्यूनतम खर्च में चढ़ना भी संभव होगा।

मेरा निवेदन है कि गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, बीमारियों व सामाजिक बुराईयों को जड़ से खत्म करने के लिए देश कौन सा विकास मॉडल अपनाए, इस बारे में एक सार्थक आम बहस शुरू की जानी चाहिए। दीनदयाल शोध संस्थान ने एक ऐसा मॉडल विकसित किया है जिसमें आम लोगों की पहल और उनके पुरुषार्थ को बढ़ावा दिया जाता है। इसी भावना और उत्साह को लेकर यह संभव हुआ है कि आज चित्रकूट के आस-पास के 80 गांवों ने-